संख्या-34/2026/I/1292526/2026/11-4099/70/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत राजस्व लेखापक्ष में वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-वा0क0अधि0/बजट/2026-27/1047/2026 दिनांक 01.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत **राजस्व** लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के वेतनादि एंव आवश्यक व्ययों के वहन किये जाने हेतु विभिन्न मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार प्राविधानित धनराशि **रू0 3648.50 लाख (रुपये छत्तीस करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2. जिस मद में व्यय के संबंध में शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उस पर यथा समय शासन की सहमति प्राप्त कर ली जाये।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में दिये गये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2040008000400 (वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	01 वेतन	18,50,00,000 (रुपये अठारह करोड़ पचास लाख मात्र)
2	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	02 मजदूरी	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
3	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	03 मंहगाई भत्ता	12,02,50,000 (रुपये बारह करोड़ दो लाख पचास हजार मात्र)
4	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	04 यात्रा व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
6	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	06 अन्य भत्ते	95,00,000 (रुपये पंचानबे लाख मात्र)
7	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
9	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	09 विद्युत देय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
10	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	10 जलकर / जल प्रभार	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
11	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

12	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
13	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	13 टेलीफोन पर व्यय	13,00,000 (रुपये तेरह लाख मात्र)
14	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
15	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	14,00,000 (रुपये चौदह लाख मात्र)
16	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	27,00,000 (रुपये सत्ताईस लाख मात्र)
17	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	42 अन्य व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
18	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
19	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
20	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
21	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
22	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	49 चिकित्सा व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
23	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	51 वर्दी व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

24	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	55 मकान किराया भत्ता	3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र)
25	089	2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान-	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**36,48,50,000** **(रुपये छत्तीस करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)**
महायोग				36,48,50,000 (रुपये छत्तीस करोड़ अड़तालीस लाख पचास हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।